

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक-प्र05(2)बजट (गै0यो0)-12/2023  
प्रेषक,

**03 (बजट)**

/खाद्य, पटना-15, दिनांक-8/04/2026

विभूति रंजन चौधरी  
निदेशक-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव,  
(निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी),  
बिहार राज्य खाद्य आयोग, बिहार, पटना।

विषय :- मांग सं0-18 के मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग, विपत्र कोड सं0-18-3456000010006 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रावधानित राशि से कुल 77,97,000/- (सतहतर लाख संतानवे हजार) रूपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु विषयांकित शीर्ष यथा मांग सं0-18 के मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग, विपत्र कोड सं0-18-3456000010006 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रावधानित राशि से वित्त विभाग के पत्रांक-236 दिनांक-09.03.2026, पत्रांक-314/वि0 दिनांक-01.04.2026 एवं पत्रांक-2561/वि0 दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेशों के आलोक में निम्नांकित तालिका के अनुसार राशि आवंटित किया जाता है :-

**तालिका**

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आय-व्यय उपबंध	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01 वेतन	0006.0101 वेतन	48,74,000	16,00,000
		0006.0103 जीवन यापन भत्ता	31,68,000	10,00,000
		0006.0104 मकान किराया भत्ता	9,75,000	3,21,000
		0006.0105 परिवहन भत्ता	2,48,000	81,000
		0006.0106 चिकित्सा भत्ता	60,000	19,000
		0006.0107 अन्य भत्ता	50,000	16,000
	<b>योग- 18-3456.00.001.0006.01- वेतन</b>		<b>93,75,000</b>	<b>30,37,000</b>
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0006.0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3,00,000	90,000
	<b>योग- 18-3456.00.001.0006.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति</b>		<b>3,00,000</b>	<b>90,000</b>
3	11 यात्रा व्यय	0006.1101 यात्रा व्यय	5,00,000	1,60,000
	<b>योग- 18-3456.00.001.0006.11-यात्रा व्यय</b>		<b>5,00,000</b>	<b>1,60,000</b>
4	13 कार्यालय व्यय	0006.1301 कार्यालय व्यय	15,00,000	4,50,000
		0006.1303 दूरभाष	1,00,000	30,000
		0006.1304 विद्युत प्रभार	2,00,000	60,000
		0006.1310 भाड़े की गाडी का भुगतान	72,00,000	23,00,000
	<b>योग- 18-3456.00.001.0006.13-कार्यालय व्यय</b>		<b>90,00,000</b>	<b>28,40,000</b>
5	16 प्रकाशन	0006.1601 प्रकाशन एवं मुद्रण	5,00,000	1,60,000
	<b>योग-18-3456.00.001.0006.16-प्रकाशन</b>		<b>5,00,000</b>	<b>1,60,000</b>
6	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	0006.2002 कॉन्फरेंस कार्यशाला, सेमिनार	2,00,000	60,000
		0006.2003 प्रशिक्षण व्यय	1,00,000	30,000

	योग-18-3456.00.001.0006.20-अन्य प्रशासनिक व्यय		3,00,000	90,000
7	21 सामग्री और आपूर्ति	0006.21.01 सामग्री एवं पूर्तिया	5,00,000	1,60,000
	योग:-18-3456.00.001.0006.21-सामग्री और आपूर्ति		5,00,000	1,60,000
8	26 विज्ञापन और प्रकाशन	0006.26 01 विज्ञापन और प्रकाशन	10,00,000	3,00,000
1	योग-18-3456.00.001.0006.26-विज्ञापन और प्रकाशन		10,00,000	3,00,000
9	28-व्यावसायिक सेवाएँ	0006.2802 संविदा सेवाएँ	25,00,000	8,00,000
	योग-18-3456.00.001.0006.28 व्यावसायिक सेवाएँ		25,00,000	8,00,000
9	52 मशीन एवं उपस्कर	0006.5201 मशीन एवं उपस्कर-कार्यालय	5,00,000	1,60,000
	योग-18-3456.00.001.0006.52 मशीन एवं उपस्कर		5,00,000	1,60,000
	कुल योग-18-3456.00.001.0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग		2,44,75,000	77,97,000

2. कुल 77,97,000/- (सतहतर लाख संतानवे हजार) रुपये मात्र आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है।

3. व्यय वहन मांग स0-18 के मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग विपत्र कोड सं0-18-3456000010006 अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपबंधित राशि से होगा।

4. राशि की निकासी, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार राज्य खाद्य आयोग द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. वित्त विभाग के पत्रांक-236 दिनांक-09.03.2026, पत्रांक-314/वि0 दिनांक-01.04.2026 एवं पत्रांक-2561/वि0 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। स्थापना प्रतिबद्ध व्यय मदों में व्यय पूरे वर्ष के लिए किये गये बजट उपबंध के अनुसार ही आवश्यकता को देखते हुए किया जायेगा। महालेखाकार से व्यय का नियमित रूप से मिलान कराया जाय तथा निकासी के समय वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का पालन किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटन के राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का भी उल्लेख कराना होगा जिसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है।

6. वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय नहीं हो सकने वाली राशि का प्रत्यपण ससमय आवश्यक कर दिया जाए।

विश्वासभाजन,

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (गै0यो0)-12/2023

03 (बजट)

/खाद्य,पटना-15,दिनांक-8/04/2026

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (गै0यो0)-12/2023

03 (बजट)

खाद्य,पटना-15,दिनांक-8/04/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (गै0यो0)-12/2023

03 (बजट)

खाद्य,पटना-15,दिनांक-8/04/2026

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-6 एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक-सह-विशेष सचिव।